न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 508 सन 2018

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र लेखराम (फोत) नाम कलमजन
   - 1/1. पारीदेवी पत्नी हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर
   - 1/2. हेतराम पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/3 बृजलाल पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4 महावीर पुत्र हरलाल(फोत)
   - 1/4/1 समेरता पत्नी महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/2 राजाराम पुत्र महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/3 कृपाल पुत्र महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/4 लिछमा पुत्री महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/5 राजबाला पुत्री महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/5. सरोज पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/6. संन्तरो पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
3. रावताराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मु0 तुलछी तथाकथित पत्नी जयलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
3. उप पंजियक खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पूनीया अधिवक्ता वादीगण
श्री हरीसिह सिहाग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 28/9/22

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बास नाथेवाला के खसरा संख्या 106 की 5.3750हैक एव रोही मोजा भगवानसर के खसरा संख्या 125/2 की 2.0990हैक , खसरा संख्या 131/5 की 0.5060हैक , 222/5 की 4.5910हैक ,309/0.6190हैक , 659/2 की 1.3280हैक कुल 9.1430हैक भूमि वादीगण बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते एव रकम राज अदा करते आ रहे है जयलाल पुत्र लेखराम फोत हो चुका है उसकी पत्नी प्रमेश्वरी सन 1993 में फोत हो चुकी है बाद फोतदगी जयलाल उसके जायज वारिस सगे भाई वादीगण ही है।

जयलाल की विवाहिता पत्नी प्रमेश्वरी सन 1993 में फोत हो गई है लेकिन विवाहिता पत्नी प्रमेश्वरी के जीवनकाल में ही जयलाल प्रतिवादिया संख्या 1 तुलछी को अपने साथ रखता था जिसके साथ जयलाल ने कभी शादी नही की ना ही हिन्दु रिति रिवाज के मुताबिक पत्नी के जीवन काल मे कोई पुरूष दुसरी स्त्री से शादी कर सकता है जो उसकी तथाकथित पत्नी है जिसका जयलाल पुत्र लेखराम के फोत होने पर विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है।

जयलाल पुत्र लेखराम के फोत होने पर उसके जायज वारिस वादीगण ही है तथाकथित पत्नी प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछी का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है लेकिन विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी हकुक का हनन होता है इसलिये वादीगण अपने हकूक की घोषणा करवाकर रिकार्ड में विवादित भूमि अपने नाम बहिब अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीया संख्या 1 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ना ही उसकी मानसिक स्थिति सही है लेकिन उसके पिहर पक्ष के व्यक्ति जयलाल के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 जो जयलाल की पत्नी होना मानकर विवादित भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज करवा कर वादीगण को नुकसान पहुचाने के लिये विवादित भूमि को रहन बैय एव मुंतकिल करने की धमकी देते है यदि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्षधर अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति वाद में किसी भी प्रकार से सम्भव नही है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई गर्तबा कहा की विवादित भूमि का वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाले तो आजकल आजकल करती रही अन्त में इन्कार हो गई इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा वास नाथोवाला के खसरा संख्या 106 की 5.3750हैक एव रोही मोजा भगवानसर के खसरा संख्या 125/2 की 2.0990हैक , खसरा संख्या 131/5 की 0.5060हैक , 222/5 की 4.5910हैक ,309/0.6190हैक , 659/2 की 1.3280हैक कुल 9.1430हैक भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे जयलाल पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जावे।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी ग्राम भगवानसर के खाता संख्या 29/361 एव जमाबन्दी ग्राम भगवानसर के खाता संख्या 62/338 की प्रतिया पेश की गई।

वादीगण का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को अस्वीकार किया जाकर जबाब पेश किया की

वादीगण के वाद मे दर्शाया गया सजरा खानदान सही नही है मृतक जयलालकी वारिसा प्रतिवादीया तुलछी पत्नी है तथा वाद की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि जयलाल की होना स्वीकार है शेष कथन मिथ्या भाषी होने के कारण अस्वीकार है क्योकि वादीगण का इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि की प्रतिवादीया तुलछी ही एक मात्र मृतक जयलाल की बतौर पत्नी वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार है वादीगण का वाद भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा नही है ना ही उनके कब्जा काश्त में वाद भूमि है वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछी के कब्ज काश्त में है तथा रकमराज जमा करवाती आ रही है।

जयलाल की मृत्यू के वाद उसकी पत्नी प्रतिवादीया तुलछी ही जयलाल के हक हिस्सा की भूमि की वारिस है वादीगण वाद भूमि में किसी भी प्रकार से हकदार नही है ना ही किसी भी प्रकार से पाने के अधिकारी है। तुलछी प्रतिवादीया मृतक जयलाल की शादीशुद्वा औरत है और हिन्दुओं में यह आम प्रथा है कि अगर किसी औरत के औलाद नही होती है तो वह औरत की सहमति से वंश वृद्वि हेतु अपनी बहन या किसी भी रिश्तेदार से अपने पति की शादी करवा देती है जो हिन्दुओ में कस्टम लॉ से गर्वन होती ही इसप्रकार प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की वैध पत्नी है और जयलाल के देहान्त होने पर उसकी जायज वारिस है।

वादीगण ने अपने वाद में मिथ्या एव मनगढत तथ्य अकित किये गये है जो अस्वीकार है वादीगण वाद भूमि के किसी भी श्रेणी के काश्तकार नही है और ना ही कानूनन दावा लाने का अधिकार है प्रतिवादीया तुलछी ही जयलाल की बतौर पत्नी जायज वारिस है वाद भूमि की हकदार है वादीगण का वाद भूमि में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नही है ना ही पाने के अधिकारी है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद या अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है ना ही वादीगण को वाद लाने का अधिकार है ना ही किसी प्रकार का अनुतोष वाद भूमि के सम्बध में पाने के अधिकारी है।

दावा वादीगण ने राजस्व मण्डल के विधिक निर्देशो की पालना नही की गई है दावा में कोई मद प्रथम वाद होने के सम्बध में अंकित/तहरीर की गई है तथा ना ही सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप दावा पेश किया गया है दावा डिफेक्टीव होने के कारण खारिज योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है जिसे भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये भी दावा शुन्य है नाकाबिले चलने के है।

वादीगण वाद भूमि में किसी भी श्रेणी के धारा 5(43) आरटीएक्ट के अनुसार टिनेन्ट नही है और बिना टिनेन्ट के उन्हे दावा करने का कानूनन अधिकार नही है

प्रतिवादीया तुलछी मृतक जयलाल की वैध पत्नी साबित है राशन कार्ड , फोटो पहचान पत्र , आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की पत्नी के रूप में दर्ज है इसीप्रकार ग्राम पंचायत के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मं भी प्रतिवादीया तुलछी बतौर पत्नी दर्ज है उक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की पत्नी है इन साक्ष्यो के विपरित वादीगण को अदालत हाजा में किसी भी प्रकार का दावा लोने का अधिकार नही है पत्नी के सम्बध में निर्णय या धोषणा का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिये वाद वादीगण काबिल खारिज है।

प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की पत्नी है जिसे दावा में वादीगण ने स्वीकार किया है और जयलाल की मृत्यू के बाद अब वाद भूमि की खातेदारी काश्तकार है तथा वाद भूमि प्रतिवादीया तुलछी के कब्जा काश्त में है वादीगण वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ना ही पाने के अधिकारी है प्रतिवादीया विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादीगण का वाद खारिज किया जाकर खर्चा हर्जाना दिलाया जावे।

प्रतिवादीया तुलछी ने अपने जबाब दावा के समर्थन में जमाबन्दी रोही मौजा भगवानसर व बास नाथोवाला सम्वत 2072–2075 , प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गोरखाना उत्तराधिकार , चित्रप्रतिलिपी भामाशाह कार्ड बहक तुलछी , चित्रप्रतिलिपी आधार कार्ड बहक तुलछी , चित्रप्रतिलिपी पहचान पत्र बहक तुलछी , चित्रप्रतिलिपी परिवार राशन कार्ड जयलाल , चित्रप्रतिलिपी मृत्यू प्रमाण पत्र जयलाल , चित्रप्रतिलिपी राशन कार्ड दो प्रति जयलाल प्रस्तुत की गई है।

प्रतिवादी संख्या 2 ,3 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की वादीगण वाद भूमि के सम्बध स्वय साक्ष्य सबुत पेश कर साबित करे एव राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा जबाब पेश करने पर वादीगण के वाद एव प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई।

<u>वादी में तनकी कायम</u>

1. क्या वाके रोही मौजा नाथेवाला व गांव भगवानसर की रोही में वादकृ4 मुतवफी जयलाल की कृषि भूमि के हकदार बतौर वारिसान वादीगण है तथा उन्ही के कब्जा काश्त में है। वादीगण
2. क्या प्रतिवादी तुलछी जो मृतक जयलाल व उसकी मृतक पूर्व पत्नी के जीवनकाल में उसके साथ ही रही थी जो उसकी तथाकथित पत्नी है का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। वादीगण
3. क्या वादीगण , प्रतिवादी तुलछी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है। वादीगण
4. क्या प्रतिवादीया तुलछी मुतक जयलाल की बतौर विधवा पत्नी एक मात्र वारिस है और उसकी भूमि विरास्तन प्राप्त करने की अधिकारी है प्रतिवादी संख्या –1
5. क्या वाद वादीगण राजस्व मण्डल के विधिक निर्देशो की पालनानुसार नही किया गया है व सीपीसी के प्रावधानो के अनुपालना में पेश नही किया गया होने के कारण काबिल खारीजी है। प्रतिवादी संख्या –1
6. क्या वादीगण वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5/43 के मुताबिक किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है और टिनेन्ट नही होने के कारण उन्हे वाद लाने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या –1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

7. क्या वादीगण द्वारा तुलछी प्रतिवादीया मृतक जयलाल की पत्नी है अथवा नही बाबत विधिक घोषणा चाही गयी है जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार की नही है और वाद वादीगण इसी आधार पर काबिल खारीजी है। प्रतिवादी संख्या –1

8. क्या प्रतिवादीया तुलछी मृतक जयलाल की पत्नी है और इसी आधार पर वाद भूमि विरास्तन अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है प्रतिवादी संख्या –1

तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य लिये गये ।

वादीगण ने साक्ष्य में मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी रावताराम पुत्र लेखराम का प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा जिरह की गई ,

प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछी स्वय द्वारा मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया गया जिस पर वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा जिरह की गई तथा मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सीपीसी जगदीश पुत्र सहीराम जाति जाट ,जयपाल पुत्र अमीचन्द जाति जाट, के शपथ पत्र पेश किया गये जिस पर वादीगण के अधिवक्ता ने जिरह की गई।

वादीगण एव प्रतिवादीगण के साक्ष्य पेश करने के उपरान्त वादीगण एव प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई ।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बास नाथेवाला के खसरा संख्या 106 की 5.3750हैक एव रोही मोजा भगवानसर के खसरा संख्या 125/2 की 2.0990हैक , खसरा संख्या 131/5 की 0.5060हैक , 222/5 की 4.5910हैक ,309/0.6190हैक , 659/2 की 1.3280हैक कुल 9.1430हैक भूमि वादीगण बहिब के काबिज खातेदार काश्तकार है।

वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते एव रकम राज अदा करते आ रहे है जयलाल पुत्र लेखराम फोत हो चुका है उसकी पत्नी प्रमेश्वरी सन 1993 में फोत हो चुकी है बाद फोतदगी जयलाल उसके जायज वारिस सगे भाई वादीगण ही है।

जयलाल की विवाहिता पत्नी प्रमेश्वरी सन 1993 में फोत हो गई है लेकिन विवाहिता पत्नी प्रमेश्वरी के जीवनकाल में ही जयलाल प्रतिवादिया संख्या 1 तुलछी को अपने साथ रखता था जिसके साथ जयलाल ने कभी शादी नही की ना ही हिन्दु रिति रिवाज के मुताबिक पत्नी के जीवन काल मे कोई पुरूष दुसरी स्त्री से शादी कर सकता है जो उसकी तथाकथित पत्नी हे जिसका जयलाल पुत्र लेखराम के फोत होने पर विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है।

जयलाल पुत्र लेखराम के फोत होने पर उसके जायज वारिस वादीगण ही है तथाकथित पत्नी प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछी का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है लेकिन विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी हकुक का हनन होता है इसलिये वादीगण अपने हकूक की धोषणा करवाकर रिकार्ड में विवादित भूमि अपने नाम बहिब अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बास नाथोवाला के खसरा संख्या 106 की 5.3750हैक एव रोही मोजा भगवानसर के खसरा संख्या 125/2 की 2.0990हैक , खसरा संख्या 131/5 की 0.5060हैक , 222/5 की 4.5910हैक ,309/0.6190हैक , 659/2 की 1.3280हैक कुल 9.1430हैक भूमि का वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे जयलाल पुत्र लेखराम का नाम कलमजन किया जावे।

प्रतिवादीया संख्या 1 का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है ना ही उसकी मानसिक स्थिति सही है लेकिन उसके पिहर पक्ष के व्यक्ति जयलाल के फोत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 जो जयलाल की पत्नी होना मानकर विवादित भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज करवा कर वादीगण को नुकसान पहुचाने के लिये विवादित भूमि को रहन बैय एव मुंतकिल करने की घमकी देते है यदि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्षधर अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो वादीगण को भारी नुकसान होता है जिसकी पुर्ति वाद में किसी भी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

प्रकार से सम्भव नही है इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टन्त आरएलडब्ल्यू 2000(1) एस.सी पेज संख्या 101 एव हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 5(1) एव सार सग्रह की धाराऐं प्रस्तुत की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण के वाद मे दर्शाया गया सजरा खानदान सही नही है मृतक जयलालकी वारिसा प्रतिवादीया तुलछी पत्नी है तथा वाद की मद संख्या 2 में दर्ज भूमि जयलाल की होना स्वीकार है शेष कथन मिथ्या भाषी होने के कारण अस्वीकार है क्योकि वादीगण का इस भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक हिस्सा नही है वाद भूमि की प्रतिवादीया तुलछी ही एक मात्र मृतक जयलाल की बतौर पत्नी वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार है वादीगण का वाद भूमि में किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा नही है ना ही उनके कब्जा काश्त में वाद भूमि है वाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछी के कब्ज काश्त में है तथा रकमराज जमा करवाती आ रही है।

जयलाल की मृत्यू के वाद उसकी पत्नी प्रतिवादीया तुलछी ही जयलाल के हक हिस्सा की भूमि की वारिस है वादीगण वाद भूमि में किसी भी प्रकार से हकदार नही है ना ही किसी भी प्रकार से पाने के अधिकारी है। तुलछी प्रतिवादीया मृतक जयलाल की शादीशुद्वा औरत है और हिन्दुओं में यह आम प्रथा है कि अगर किसी औरत के औलाद नही होती है तो वह औरत की सहमति से वंश वृद्वि हेतु अपनी बहन या किसी भी रिश्तेदार से अपने पति की शादी करवा देती है जो हिन्दुओ में कस्टम लॉ से गर्वन होती ही इसप्रकार प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की वैध पत्नी है और जयलाल के देहान्त होने पर उसकी जायज वारिस है।

वादीगण ने अपने वाद में मिथ्या एव मनगढत तथ्य अकित किये गये है जो अस्वीकार है वादीगण वाद भूमि के किसी भी श्रेणी के काश्तकार नही है और ना ही कानूनन दावा लाने का अधिकार है प्रतिवादीया तुलछी ही जयलाल की बतौर पत्नी जायज वारिस है वाद भूमि की हकदार है वादीगण का वाद भूमि में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा नही हे ना ही पाने के अधिकारी है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद या अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है ना ही वादीगण को वाद लाने का अधिकार है ना ही किसी प्रकार का अनुतोष वाद भूमि के सम्बध में पाने के अधिकारी है।

दावा वादीगण ने राजस्व मण्डल के विधिक निर्देशो की पालना नही की गई है दावा में कोई मद प्रथम वाद होने के सम्बध में अंकित/तहरीर की गई है तथा ना ही सीपीसी के प्रावधानो के अनुरूप दावा पेश किया गया है दावा डिफेक्टीव होने के कारण खारिज योग्य है। घोषणात्मक वाद में राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होती है जिसे भी पक्षकार नही बनाया गया है इसलिये भी दावा शुन्य है नाकाबिले चलने के है।

वादीगण वाद भूमि में किसी भी श्रेणी के धारा 5(43) आरटीएक्ट के अनुसार टिनेन्ट नही है और बिना टिनेन्ट के उन्हे दावा करने का कानूनन अधिकार नही है

प्रतिवादीया तुलछी मृतक जयलाल की वैध पत्नी साबित है राशन कार्ड , फोटो पहचान पत्र , आधार कार्ड व भामाशाह कार्ड में प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की पत्नी के रूप में दर्ज है इसीप्रकार ग्राम पंचायत के द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र मं भी प्रतिवादीया तुलछी बतौर पत्नी दर्ज है उक्त सभी दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार प्रतिवादीया तुलछी जयलाल की पत्नी है इन साक्ष्यो के विपरित वादीगण को अदालत हाजा में किसी भी प्रकार का दावा लोने का अधिकार नही है पत्नी के सम्बध में निर्णय या घोषणा का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिये वाद वादीगण काबिल खारिज है।

प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायायिक दृष्टान्त ए.आई.आर– 2011 एस. सी–545 " अतलुरी ब्रहमांनदन बनाम अन्ने साई बापुरी की और ध्यान आकर्षित किया।

वादीगण एव प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा बास नाथोवाला के खसरा संख्या 106 की 5.3750हैक एव रोही मोजा भगवानसर के खसरा संख्या 125/2 की 2.0990हैक , खसरा

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

संख्या 131/5 की 0.5060हैक , 222/5 की 4.5910हैक ,309/0.6190हैक , 659/2 की 1.3280हैक कुल 9.1430हैक जयलाल पुत्र लेखराम के नाम से दर्ज है।

वादीगण एव प्रतिवादीगण के बहस एवं प्रस्तुत पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है।

तनकी न0– 1 क्या वाके रोही मौजा नाथेवाला व गांव भगवानसर की रोही में वादकृत मुतवफी जयलाल की कृषि भूमि के हकदार बतौर वारिसान वादीगण है तथा उन्ही के कब्जा काश्त में है।

तनकी न0 – 1 को साबित करने का भार वादीगण पर था।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में जयलाल पुत्र लेखराम के नाम से दर्ज है जो वादीगण के रावताराम , मनीराम एव हरलाल जो वादीगण संख्या 1/1 से 1/5 के पिता का भाई है।

वादीगण के कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है जयलाल जो वादीगण का भाई होने के कारण जयलाल के प्रथम श्रेणी के वारिसान उसके भाई या उसके भाई के वारिसान है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है तुलछी का कोई हक हिस्सा नही है।

वादीगण का उक्त कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि वादीगण स्वय ने अपने वाद में स्वीकार/ अंकित किया गया है कि उसके भाई जयलाल की प्रथम पत्नी प्रमेश्वरी के जीवनकाल में ही जयलाल प्रतिवादीया तुलछी को अपने साथ रखता था अर्थात प्रमेश्वरी को ज्ञान था की प्रतिवादीया संख्या 1 तुलछी जयलाल के साथ रहती है तुलछी का जयलाल के साथ रहने के सम्बध में प्रमेश्वरी ने अपने जीवनकाल में कभी कोई ऐतराज नही किया गया ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध/प्रस्तुत किया गया है जिससे साबित हो तुलछी के जयलाल के साथ रहने पर किसी प्रकार का ऐतराज किया गया हो साथ ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध/प्रस्तुत नही है जिससे जयलाल या तुलछी के परिवार के द्वारा जयलाल के साथ तुलछी के रहने पर किसी प्रकार का ऐतराज कर कार्यवाही की गई हो।

प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी का कथन कुछ हदतक स्वीकार योग्य है कि हिन्दु परिवारो में अगर किसी औरत को औलाद नही होती है तो वह अपनी प्रथम औरत की सहमति से अपनी वंश वृद्वी के लिये दुसरी औरत का पत्नी की तरह स्वीकार करता है और अपने परिवार का हिस्सा बनाता है।

अर्थात परिवार की सहमति से अपने वंश का चलाने के लिये दूसरी औरत को प्रथम पत्नी की सहमति से परिवार में एकप्रकार से पत्नी की दर्जा दिया जाकर रखा जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी ने जयलाल के दुसरी पत्नी होने के समर्थन में साक्ष्य के तौर पर परिवार राशनकार्ड , मतदाता फोटो पहचान पत्र , आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड, एव ग्राम पचायत द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है उक्त सभी दस्तावेजात में तुलछी को जयलाल की पत्नी के तौर पर प्रर्दशित किया गया है अर्थात उक्त दस्तोवजात के अनुसार तुलछी जयलाल की पत्नी होने से इन्कार नही किया जा सकता है।

जयलाल की प्रथम पत्नी प्रमेश्वरी के जीवनकाल में ही जयलाल तुलछी के साथ निवास रहता था जिसका ज्ञान प्रमेश्वरी एव जयलाल के परिवार के सभी व्यक्तियो को ज्ञान था किसी के द्वारा किसी प्रकार का ऐतराज किया गया है पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है।

तुलछी या प्रमेश्वरी अथवा परिवार के किसी भी सदस्य को तुलछी जयलाल के साथ रहने के सम्बध में किसीप्रकार को कोई ऐतराज होता तो सक्षम न्यायालय में अपने हकों की धोषणा का वाद पेश कर सकते थे किन्तु हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है अर्थात तुलछी को जयलाल की दुसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया था ।

साथी ही न्यायायिक दृष्टान्त ए.आई.आर –2011 एस.सी. 545 अतलुरी ब्रहमानंदन बनाम अन्ने साई बापुरी के अनुसार आम प्रथाएँ जो किसी समाज में किसी क्षेत्र विशेष में चलन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

में है वह नियम व कानून के तौर पर मानी जा सकती है हस्तगत प्रकरण में उक्त विवेचन अनुसार उक्त दृष्टान्त चस्पा होता है

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार तुलछी मृतक जयलाल की वारिस होना प्रतीत होता है अर्थात मृतक जयलाल की प्रथम वारिस उसकी पत्नी तुलछी होना साबित है अतः पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार तनकी न0 1 वादीगण के द्वारा साबित नही करने के कारण यह तनकी वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 – 2 क्या प्रतिवादी तुलछी जो मृतक जयलाल व उसकी मृतक पूर्व पत्नी के जीवनकाल में उसके साथ ही रही थी जो उसकी तथाकथित पत्नी है का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है।

तनकी न– 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था

वादीगण ने अपने वाद मे यह तथ्य स्वीकार/अकित किया गया है कि मृतक जयलाल एव पूर्व पत्नी प्रमेश्वरी के जीवनकाल में ही तुलछी जयलाल के साथ निवास करती अथवा रहती थी वादीगण ने अपने वाद मे साक्ष्य के तौर पर प्रतिवादी संख्या 3 रावताराम पुत्र लेखूराम का शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी के अधिवक्ता के द्वारा जिरह करने पर स्वीकार किया गया है कि उसकी माँ तुलछी को जयलाल की पत्नी के रूप में पुकारती एव स्वीकार करती थी तथा स्वय के द्वारा भी स्वीकार किया गया है उसके द्वारा शपथ पत्र में तुलछी को जयलाल की तथाकथित पत्नी अंकित नही करवाया गया है तथा यह भी स्वीकार किया गया है कि हमारे समाज में जब प्रथम औरत से कोई औलाद नही होती तो वह दुसरी पत्नी अपने वंशवृद्वी के लिये जाता है वह औरत बना कर ही लाता है तथा प्रथम पत्नी प्रमेश्वरी भी तुलछी के सम्बध में कोई ऐतराज है हमे कभी नही कहा जयलाल बिमार होने पर तुलछी ही जयलाल की सेवा चाकरी करती थी तथा तुलछी को जयलाल के साथ रहते 40 साल हो गये है

प्रतिवादी संख्या 3 रावताराम पुत्र लेखराम जो जयलाल का भाई है के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर जिरह के दौरान तुलछी को जयलाल के साथ रहते 40 साल हो चुके है एवं जयलाल के परिवार ने उसे जयलाल की पत्नी के तौर पर स्वीकार किया गया है एव जिरह के अनुसार जयलाल की माँ भी उसे जयलाल की पत्नी के रूप में स्वीकार करती थी।

वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया ना ही पत्रावली में उपलब्ध/प्रस्तुत किया गया जिससे यह साबित हो सके की तुलछी जयलाल की पत्नी /वारिस नही हो एव जयलाल एव उसकी प्रथम पत्नी प्रमेश्वरी एव परिवार के द्वारा तुलछी को दुसरी पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है जो प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र की जिरह से साबित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी ने जो भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है सभी में जयलाल की पत्नी के रूप में प्रदर्शित किया गया है जयलाल या उसकी पत्नी प्रमेश्वरी या जयलाल के परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा तुलछी जयलाल की वारिस नही है के सम्बध में सक्षम न्यायालय में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही की गई है ना ही तुलछी ने ऐसी कोई कार्यवाही की गई है।

तनकी न0 1 में किये गये विवेचन एव उक्त विवेचन के अनुसार तुलछी जयलाल की द्वितीय पत्नी प्रतीत होती है जो जयलाल के देहान्त होने पर प्रथम श्रेणी की वारिस है वादीगण जो जयलाल के भाई अथवा भाई के वारिस है जयलाल के प्रथम श्रेणी की वारिस नही होने के कारण किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है ना ही वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश किया गया जिससे वादीगण वाद भूमि में जयलाल की प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी वारिस होने के उपरान्त किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो अतः तनकी न0. 2 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 – 3 क्या वादीगण , प्रतिवादीया तुलछी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है। – तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था।

तनकी न.0 1 ,2 में पूर्ण विवेचन किया जा चुका है कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य सबुतो के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी जयलाल की प्रथम श्रेणी की वारिस है प्रथम श्रेणी की वारिस के होते हुए वादीगण जो जयलाल के भाई एव भाई के वारिसान है वाद भूमि में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचन के अनुसार किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है वाद भूमि में तुलछी प्रतिवादी संख्या 1 के हक होनो प्रतीत होने के कारण वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है अतः तनकी न0 3 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 4 क्या प्रतिवादीया तुलछी मृतक जयलाल की बतौर विधवा पत्नी एक मात्र वारिस है और उसकी भूमि विरास्तन से प्राप्त करने की अधिकारी है।

तनकी न0 – 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था ।

वादीगण ने अपने वाद में स्वीकार/अंकित किया गया है जयलाल एव उसकी प्रथम पत्नी प्रमेश्वरी के जीवनकाल में तुलछी उनके साथ रहती थी अर्थात जयलाल की प्रथम पत्नी को पूर्ण ज्ञान था की जयलाल तुलछी के साथ दुसरी पत्नी के तौर पर उसके साथ निवास करता है जयलाल की प्रथम पत्नी प्रमेश्वरी ने कभी भी तुलछी के सम्बध में कोई ऐतराज नही किया गया था ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध/प्रस्तुत किया गया है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 3 का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसकी जिरह में प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वीकार किया गया है कि उसके परिवार को जयलाल तुलछी के साथ दुसरी औरत के रूप मे स्वीकार किया गया था तथा तुलछी 40 साल तक जयलाल के साथ रही थी एव जयलाल का परिवार तुलछी को जयलाल की पत्नी के रूप में स्वीकार करता था ।

वादीगण ने केवल साक्ष्य में केवल प्रतिवादी संख्या 3 के ब्यान करवाये गये है इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जबकि तुलछी ने अपने साक्ष्य में स्वय का शपथ पत्र एव अन्य दो व्यक्यिों के शपथ पत्र पेश किये है जिसकी जिरह में तुलछी को जयलाल की पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया है।

वादीगण ने यह वाद जयलाल के देहान्त होने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है उससे पूर्व किसी भी प्रकार का वाद या जयलाल की तुलछी पत्नी है या नही के सम्बध में किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाने के सम्बध में कोई तथ्य पत्रावली में उपलब्ध नही है जबकि तुलछी जयलाल की मृत्यू तक उसके साथ निवास करती थी।

प्रतिवादी संख्या 1 ने दस्तावेजी साक्ष्यो में भी भारत निर्वाचन आयोग का फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का अधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड , भामाशाह कार्ड , एव ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश किया गया है उक्त सभी में तुलछी को जयलाल की पत्नी के रूप में प्रर्दशित किया गया है।

इसप्रकार तनकी न0 1 स ,2 एव उक्त विवेचन के अनुसार तुलछी जयलाल की दुसरी पत्नी होना प्रतीत होता है तथा जयलाल के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी ही जयलाल की प्रथम श्रेणी की वारिस है जो अपने पति जयलाल के देहान्त होने पर उसकी सम्पति की जायज वारिसान है जो नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपने पति जयलाल की सम्पति को अपने नाम विरास्तन से दर्ज करवाने की अधिकारी है।

अतः तनकी न0 4 पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य/सबुतो एव ब्यानो के आधार पर तनकी न0. 4 पूर्णत्या साबित होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 तुलछी के पक्ष में एव वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0– 5 क्या वाद वादीगण राजस्व मण्डल के विधिक निर्देशो की पालनानुसार नही किया गया है व सीपीसी के प्रावधानो के अनुपालना में पेश नही किया गया होने के कारण काबिल खारीजी है। प्रतिवादी संख्या –1

तनकी न0 – 6 क्या वादीगण वाद भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5/43 के मुताबिक किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है और टिनेन्ट नही होने के कारण उन्हे वाद लाने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या –1

तनकी न0 7 क्या वादीगण द्वारा तुलछी प्रतिवादीया मृतक जयलाल की पत्नी है अथवा नही बाबत विधिक घोषणा चाही गयी है जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार की नही है और वाद वादीगण इसी आधार पर काबिल खारीजी है। प्रतिवादी संख्या –1

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

तनकी न0 – 5 से 7 में कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण एक साथ विवेचन किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 का कथन है वादीगण ने प्रथम वाद होने के सम्बध में अपने वाद में कोई कथन तहरीर नही किये गये है एव राज्य सरकार को पक्षकार नही बनाया गया है एवं बिना टिनेन्ट के दावा लाने का अधिकार नही है राजस्व मण्डल के निर्देशो के अनुरूप नही है।

पत्रावली में प्रस्तुत वाद पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया की वादीगण ने राज्य सरकार को प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिस्थापित किया गया है तथा वादपत्र में प्रथम वाद होने के सम्बध में कोई कथन अंकित नही किया गया है मात्र प्रथम वाद का कथन अंकित करने से वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नही है तथा वादीगण किसी श्रेणी के टिनेन्ट है अथवा नही यह कथन वाद में जबाब साक्ष्य सबुत /तनकीयात कायम होने के उपरान्त ही तय किया जा सकता है प्रथम दृष्टया टिनेन्ट के सम्बध में कोई तर्क कायम किया जाना न्यायोचित नही है।वाद में साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय किये जा सकते है जो हस्तगत प्रकरण में भी किये जा रहे है मात्र वाद पत्र में कथन अंकित नही करने से वाद खारिज किया जाना न्यायोचित नही है।

उक्त विवेचन अनुसार कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण उभयपक्षों के सामान रूप में पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न– 8 क्या वादीगण द्वारा तुलछी प्रतिवादीया मृतक जयलाल की पत्नी है अथवा नही बाबत विधित घोषणा चाही गयी है जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार की नही है और वाद वादीगण इसी आधार पर काबिल खारीजी है। प्रतिवादी संख्या –1

वादीगण ने अपने भाई जयलाल के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का पेश कर कथन किया गया है तुलछी जयलाल की पत्नी नही है जबकि तनकी न0 1 ,2 4 में इस सम्बध में विवेचन किया जा चुका है।

वादीगण का वाद अस्पष्ट तौर पर तुलछी जयलाल की वारिस/पत्नी है अथवा नही के सम्बध में ही होना प्रतीत होता है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है वादीगण तुलछी जयलाल की पत्नी है अथवा नही के सम्बध में किसी प्रकार को अनुतोष चाहते है तो वह सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है उत्तराधिकारी की घोषणा इस न्यायालय से पाने का अधिकारी नही है यह न्यायालय केवल हको का निर्धारण कर सकता है।

अतः तनकी न0– 8 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाकर वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकीयात के अनुसार विवेचन न्यायायिक दृष्टान्त ए.आई.आर 2011 एस.सी. पेज 545 प्रकरण पर चस्पा होने कारण यह साबित हो चुका है कि तुलछी जयलाल की आम प्रथा के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस है जो जयलाल के देहान्त होने पर जयलाल के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने की अधिकारी है वादीगण जयलाल के भाई एव भाई के वारिसान है जो जयलाल के नाम दर्ज वाद भूमि में प्रथम श्रेणी के वारिस न होने के कारण किसी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक २८/१/२२ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरलाल पुत्र लेखराम (फोत) नाम कलमजन
   - 1/1. पारीदेवी पत्नी हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर
   - 1/2. हेतराम पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/3 बृजलाल पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4 महावीर पुत्र हरलाल(फोत)
   - 1/4/1 समेस्ता पत्नी महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/2 राजाराम पुत्र महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/3 कृपाल पुत्र महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/4 लिछमा पुत्री महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/4/5 राजबाला पुत्री महावीर जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/5. सरोज पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
   - 1/6. संन्तरो पुत्री हरलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
2. मनीराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।
3. रावताराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. मु0 तुलछी तथाकथित पत्नी जयलाल जाति जाट साकिन भगवानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
3. उप पंजियक खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 508 सन 2018 निर्णय दिनांक– 28/9/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/9/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner